

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

परिपत्र


क.1180/कम्प्यू. हा./2024
दिनांक—.....

उज्जैन, 01 FEB 2024

प्रायः यह देखा गया है कि जिला स्थापना उज्जैन एवं समस्त तहसील स्थापनाओं के लिए समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। किन्तु जिला स्थापना उज्जैन एवं समस्त तहसील स्थापनाओं पर पदस्थ संबंधित कर्मचारियों द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर का रखरखाव तथा उपयोग उचित रूप से नहीं किया जाता है तदोपरांत कम्प्यूटर हार्डवेयर कुछ ही समय में खराब होने तथा दुरुस्त कराये जाने की सूचना कार्यालय को प्राप्त होती है। जिस कारण से समय-समय पर नए उपकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय द्वारा कन्ज्युमेबल आईटम्स को क्रय करने की कार्यवाही की जाती है। जिससे कि बजट पर अनावश्यक भार पड़ता है।

अतः जिला स्थापना के समस्त न्यायालयों एवं अनुविभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि, कम्प्यूटर हार्डवेयर का नियमित रूप से उचित एवं सावधानीपूर्वक रखरखाव करें। कम्प्यूटर हार्डवेयर का नियमित रूप से रखरखाव नहीं होने की दशा में, कम्प्यूटर हार्डवेयर को किसी भी प्रकार की क्षति/हानि पहुंचने पर संबंधित कर्मचारी जिसके प्रभार में अथवा जिनके द्वारा उक्त कम्प्यूटर हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है। वह स्वयं होने वाली क्षति/हानि के लिए जिम्मेदार रहेंगे तथा उसकी वसूली भण्डार क्रय नियमों के अनुसार की जायेगी।


उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन

1181
पृ.क...../कम्प्यू. हा./2024

उज्जैन, दिनांक—.....

- 1/ समस्त न्यायालय जिला न्यायालय उज्जैन/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/तराना/बड़नगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी लेखा/नजारत/मालखाना/कम्प्यूटर/फाइलिंग/कॉपिंग/सांख्यिकी/अभिलेखागार/ग्रन्थालय जिला न्यायालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन

PUD (2)



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT - JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2024/94

Jabalpur, Dated:-12/01/2024


:: CIRCULAR::

To,

The Principal District and Sessions Judge,
All District and Sessions Courts in the State of M.P.
District - _____

Sub: Regarding proper up-keeping of computer hardware articles and to handle them with due care and diligence.

As directed, under the subject cited above, it is to inform that Hon'ble Chief Justice vide order dated: 11.01.2024 has been pleased to permit to issue circular to all Principal District and Sessions Judges in the State of Madhya Pradesh to direct their respective officials and employees to handle the I.T. equipments with due care and diligence and in case of any physical damage of the machine parts / computer hardware articles on account of mishandling / negligence, then the respective employees / officials shall be held responsible and the recovery of amount shall be made as per store purchase rules.


(F.H. QAZI)
SPSA(SA)

